राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........2024 / 2016....................................... जिला ....जयपुर..

उनवान : मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहकार मार्ग, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणि. कर जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत राजस्थान, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ श्री खेमराज, अध्यक्ष श्री मनोहर पुरी, सदस्य	
03 / 10 / 2016	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या II / स्थगन / प्र.क. / अ.सं.–103 / 16–17 में राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश कर पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23 सपठित नियम 20 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.07.2016 के विरूद्ध प्रवेश कर अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण आदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12, 34ए, 35, 45 के तहत दिनांक 18.02.2016 को पारित करते हुए कुल मांग रूपये 51,58,285 / – का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2016 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए बकाया मांग / वसूली योग्य राशि रूपये 47,54,180 / – पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का विरोध करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों का रागुचित अवलोकन किये बिना अपीलार्थी के विरूद्ध भारी मांग कायम की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य मांग राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।	

लगातार..........2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........2024 / 2016...................................... जिला ....जयपुर...

उनवान : मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहकार मार्ग, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणि. कर जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत राजस्थान, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03 / 10 / 2016	विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रवेश कर अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड को मांग राशि के स्थगन का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण स्पष्ट रूप से प्रवेश कर अधिनियम के तहत पारित आदेश से सृजित मांग के स्थगन से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 24(4) निम्न प्रकार है :– **24. Appeal to the Tax Board.-** (4) Notwithstanding that an appeal has been preferred under sub-section (1), the payment of tax or penalty of any other amount, payable in accordance with any order passed by the appellate authority under section 23 shall not, pending disposal of the appeal, be stayed by the Tax Board. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 915 Upadhyay Hargovind Dev Shankar v. Dhirendra Singh Virbhadra Singh Ji** में Exclusion of Jurisdiction of Courts & Tribunal to be by exprcss Provision के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है :– "Where special Act Sets out a Self Contained Code, the applicability of the general law procedure would be impliedly excluded." राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 एक स्वतंत्र अधिनियम है, जिसके अधीन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाकर मांग सृजित की गयी है। उपरोक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति व विधिक प्रावधानों के संयुक्त पठन से स्थिति स्पष्ट है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 24(4) में कर बोर्ड को इसमें कर या शास्ति व अन्य राशि के भुगतान को स्थगित करने से निषिद्ध करने का प्रावधान किया गया है। लगातार..........3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........2024 / 2016....................................... जिला ....जयपुर..

उनवान : मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहकार मार्ग, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणि. कर जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत राजस्थान, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03 / 10 / 2016	उक्त विधिक प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी का स्थगन प्रार्थना–पत्र संधारणीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	